राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–29 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री उज्ज्वल कुमार चौबे, वार्ड 3, वी.आई.पी. कालेनी, पो.–भभुआ, जिला–कैमूर–821101

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
22.05.2023	श्री उज्ज्वल कुमार चौबे, वार्ड 3, वी.आई.पी. कालेनी, पो.–भभुआ, जिला–कैमूर–821101 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–शून्य इस कार्यालय में दिनांक–22.05.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 965756 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री उज्ज्वल कुमार चौबे ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–24.03.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल के प्रधान सचिव के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–24.03. 2023 की प्रति भी संलग्न है। विदित हो कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को Designate किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अपीलकर्त्ता श्री उज्ज्वल कुमार चौबे ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, अतः इसे अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधित को सूचित करें। 24/5/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	